

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: आईडीएसपी/कोरोना/2021/71

दिनांक: 12/04/2021

समस्त जिला कलेक्टर
राजस्थान।

विषय:- निजी चिकित्सालयों में इन्जेक्शन रैमडेसीविर व टोसीलीजुमाब के समुचित स्टॉक बाबत।

उपरोक्त विषय में लेख है कि वर्तमान में कोरोना प्रकोप में निरन्तर अत्यधिक वृद्धि देखी जा रही है जो कि एक गम्भीर एवं चिन्ता का विषय है। कोरोना से बचाव एवं नियंत्रण हेतु की जा रही विभिन्न गतिविधियों के क्रम में निजी चिकित्सालयों में भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। इस संदर्भ में निजी चिकित्सालयों में कोविड रोगियों के उपचार में विशेष महत्व की दवाईयों इन्जेक्शन रैमडेसीविर व टोसीलीजुमाब के समुचित स्टॉक सुनिश्चित किया जाना है, इस हेतु निजी चिकित्सालयों को निर्देशित किया जावें कि वे संबंधित स्टॉकिस्ट/ दवा विक्रेता से संपर्क कर उनकी डिमांड अनुसार इन्जेक्शन रैमडेसीविर व टोसीलीजुमाब क्रय किया जाना अविलम्ब सुनिश्चित करें।

(सिद्धार्थ महाजन)

शासन सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

राजस्थान जयपुर

दिनांक:

क्रमांक: आईडीएसपी/कोरोना/2021/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
3. निजी सहायक, मिशन निदेशक, (एनएचएम) एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक निदेशक (जन० स्वा०), मुख्यालय।
5. अति निदेशक (ग्रा० स्वा०), मुख्यालय।
6. एसएनओ (आईडीएसपी) मुख्यालय।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।